287

-1-

न्यायालय- श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

नि.ग्रा - 2963-I-16

अवधेश कुमार तनय रामसेवक श्रीवास्तव, उम्र 52 साल

निवासी- ग्राम कुड़याला, तह0 बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... आवेदक

// विरूद्ध //

राजेन्द्र सिंह तनय बल्देव सिंह

निवासी- ग्राम कुड़याला, तह0 बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदक.

निग0 प्र0 क्र0- ता0 प्रस्तुति-

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय सागर संभाग, सागर म0प्र0 के प्र0 क्र0- 690 A-6 × 15-16 में पारित आदेश दिनांक- 16/8/2016 से परिवेदित होकर निम्न लिखित अनुसार प्रस्तुत हैः-

1. यह कि, अनावेदक ने विचारण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के न्यायालय में यह उल्लेख किया है कि, उसके पिताजी बल्देवसिंह को 1973 में भूमि खसरा नं. 347, 347-अ, 347-ब, 349, 506, 551, 551-स, कुल किता-7 कुल रकबा 6.92 एकड़ भूमि आवेदक के पिताजी रामसेवक तनय बेनीप्रसाद ने विक्रय की थी । वर्ष 1973 से 39 वर्ष तक किसी प्रकार का नामांतरण अनावेदक ने नहीं कराया । आवेदक के पिता ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दिनांक- 18.11.1983 को उपपंजीयक टीकमगढ़ के समक्ष वसीयतनामा पंजीकृत कराया जो मृतक रामसेवक ने अपने पुत्रों के नाम पर कराया था । मृतक खातेदार की मृत्यु उपरांत दिनांक-23.05.1996 को आवेदक के नाम एकमात्र वारिस होने से भूमि दर्ज कर दी गई, तथा नामांतरण आदेश तहसीलदार बल्देवगढ़ ने दिनांक- 23.5.1996 को पारित किया। वर्ष 1996 के उपरांत लगभग 20 वर्ष के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....निग.2963-I/16..... जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-17	1— उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र.क्र. 690/अ/6 वर्ष 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 के विरूद्ध धारा 50 म.प्र.भू—राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। मैने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 16.08.16 के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अपील धारा 5 पर निराकृत की गई है जिसमें प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। अनावेदक के पिता ने दिनांक 31.01.1991 को वल्देव सिंह ठाकुर ने नामांतरण प्रकरण नायब तहसीलदार के यहां प्रस्तुत किया जो अदम पैरवी में खारिज हुआ, पुनः आवेदन पत्र साढ़े पांच माह बाद जो नायब तहसीलदार कुड़ीला के यहां राजेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किया जिसमें ना. तह. ने प्रकरण सिविल न्यायालय में लंबित होने से आवेदन खारिज किया। अनावेदक राजेन्द्र सिंह ने व्यवहार वाद द्वितीय व्यव.न्या.वर्ग—2 टीकमगढ़ के यहां प्रस्तुत किया जिसमें पंजीकृत विक्रयपत्र को वैद्य मानकार नामांतरण करने की मांग की थी, जिस पर व्यवहार न्यायाधीश ने राजेन्द्रसिंह का व्यवहारवाद खारिज किया। वर्ष 1973 में आवेदक के पिता रामसेवक ने भूमि विक्रय की थी, उसके बाद 38—39 वर्ष तक नामांतरण नहीं कराया गया, इसी बात को लेकर अनावेदक व्यवहार न्यायालय के निरस्ती आदेश के विरूद्ध व्यवहार अपील प्रथम अपर जिला न्यायधीश के यहां प्रस्तुत की, जो खारिज की गई तदोपरांत मान. उच्च न्या. में द्वितीय अपील राजेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत की जो दि0 27.6.2014 को निरस्त की गई और व्यवहार न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया। इन दस्तावेजों को प्रथम अपी.न्या.अनु.अधि. बल्देवगढ़ ने अनदेखा करते हुए धारा—5 पर आदेश पारित किया है। अनावेदकगण को संपूर्ण प्रकरण की जानकारी	

[क्र. प. उ.

निग. 2963 /16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पूर्व से होने के उपरांत समयसीमा में कार्यवाही नहीं की गई है। अनु.अधि. के समक्ष आवेदन पत्र धारा–5 में पेज–2 पर यह लेख किया है कि 31.10.15 को जानकारी हुई एवं 7.11.15 को नकल प्राप्त हुई। अनावेदक ने जो सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किए उसमें 12.06.15 को नकल का आवेदन तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना दर्शित है 05.08.15 को तहसीलदार ने पत्र लिखा कि संशोधन पंजी क.07 दि0 28.05.96 उक्त पंजी वांछित प्रविष्टि दर्ज होना नहीं पाई गई, लेख है। किंतु नामांतरण पंजी दिनांक 23.05.96 में आदेश पारित किया गया पाया जाता है। दि.28.05.96 को कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है। पंजीकृत वसीयतनामा दि.18.11.83 को उप पंजीयक कार्यालय टीकमगढ़ में पंजीकृत किया गया, जिसके आधार पर नामांतरण कार्यवाही आवेदक के पिता मृतक रासेवक के एकमात्र वारिस होने से आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजीकृत वसीयत का रजिस्ट्रीकरण को वैद्य माना ए.आई.आर. 2013 एस.सी.532 अनावेदकगण ने आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में जो 23.05.1996 में दर्ज हो चुका था, उसके लगभग 20 वर्ष वाद तक भी अपील प्रस्तुत नहीं की गई। बिलंब के संबंध में कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाए और न ही इस बावत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए। अन्य न्यायिक दृष्टांत "जिला कलेक्टर विरूद्ध श्रीमती त्रिवेदी चौरसिया एम.पी.वी.नोट 2012(1) नोट 55, इसी प्रकार 2012(1) एम.पी.वी.नोट, नोट नं. 10, अनुविभागीय अधिकारी ने दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन नहीं किया, मात्र शपथपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही धारा–5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है उपरोक्त न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में प्रभावशील है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ द्वारा पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी वल्देबगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 निरस्त किया जाता है। तथा नामांतरण पंजी पर पारित तहसीलदार कुड़ीला द्वारा आदेश दिनांक 23.05.96 स्थिर रखा जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	